न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.

प्रकरण सख्या 79/2019 प्रा.पत्र
दायर दिनांक 02.09.2019
निर्णय दिनांक 28.02.2020

अनवान

1 मांगीलाल पिता भुरा जाति गुर्जर निवासी गमेरपुरा तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. शेर खॉ पिता नसीर खॉ जाति मुसलमान निवासी गमेरपुरा तहसील रेलमगरा
2. राजस्थान राज्य जरिये भुमीधारक तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम गमेरपुरा तहसील रेलमगरा में प्रार्थी के खातेदारी आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 196 रकबा 02.06 बीघा कृषि भूमी स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शाट्रश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है। उपरोक्त आराजी संख्या 196 रकबा 02.06 बीघा के दक्षिण दिशा में विपक्षी संख्या 01 के खातेदारी आधिपत्य की आराजी संख्या 434/350 रकबा 02.09 बीघा स्थित है जो आराजीयात बिलानाम गैर काबिल काश्त की आराजी संख्या 350 रकबा 05.10 बीघा के उत्तरी दिशा में स्थित होकर उक्त आराजी संख्या 350 बिलानाम गैर काबिल काश्त गांव से खेतो की ओर आने वाले रास्ता की भूमि होकर प्रार्थी उक्त रास्ते के आराजी संख्या 350 से उत्तरी ओर विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 434/350 के पश्चिमी पाली के सहारे करीब 20 फिट चौडाई के रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 196 रकबा 02.06 बीघा में प्रवेश करता है। तथा इसी रास्ते का प्रार्थी विगत काफी समय से निरन्तर उपयोग– उपभोग करते हुऐ अपने हल, बैलगाडी, टेक्टर आदि लाता ले जाता रहा है। प्रमाण स्वरूप उक्त आराजी संख्या 350 एवं आराजी संख्या 434/350 की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेश

की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 196 में काश्त के लिये सरकारी रास्ता आराजी संख्या 350 से होकर उक्त रास्ते से सटी हुई आराजी संख्या 434/350 के पश्चिमी पाली के सहारे प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 196 में प्रवेश करता है किन्तु अब विपक्षी संख्या 01 के मन में बेइमानी आ जाने से प्रार्थी को विपक्षी संख्या 01 उक्त रास्ते से आवागमन हेतु रोक देने एवं आराजी संख्या 434/350 के पश्चिमी ओर दक्षितसे उत्तर गुजरने पर प्रार्थी को मौके पर मरने मारने की भी धमकिया दे रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त आराजी संख्या 434/350 के पश्चिमी दिशा में स्थिति दक्षित से उत्तर दिशा की ओर जाने वाले करीब 20 फीट चौडाई रास्ते की जमीन प्रार्थी के खेत आराजी संख्या 196 में आवागमन हेतु रास्ते के रूप में दर्ज कराने का अधिकारी है ताकि भविष्य में इस प्रकार के विरोध से बचाया सके एवं अन्य मुकदमें बाजी नही हो इसके लिये प्रार्थी आप न्यायालय के आदेशानुसार विधि अनुरूपपालना करने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थी को अगर अपने कब्जे काश्त की आराजी संख्या 196 के लिये आराजी संख्या 434/350 में से रास्ता प्रदान नही किया गया तो प्रार्थी अपने काश्त योग्य कृषि आराजी संख्या 196 को काश्त नही कर पायेगा तथा बिना काश्तके प्रार्थी की आजीविका भी प्रभावित होगी। जिससे भी रास्ते का आराजी की धारा 251 (ए) के अनुसरण में उपरोक्त अनुसार रास्ता प्रदान किया जाना प्रार्थी के लिये नितांत आवश्यक है। इसी रास्ते का उपयोग कई वषो से प्रार्थी करता चला आ रहा है किन्तु अभी कुछ समय पूर्व ही आज से करीब 15 दिन पुर्व विपक्षी ने प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने पर उसके साथ लडाई झागडा एवं विवाद करने की धमकिया दी जिससे प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का हेतुक आज से 15 दिन पुर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र विरूद्व विपक्षी संख्या 01 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की कृषि आराजी संख्या 196 में आवागमन हेतु बिलानाम रास्ते की भूमी आराजी संख्या 350 से उत्तरी ओर विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 434/350 के पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उत्तर सम्पूर्ण लम्बाई में एवं 20 फीट चौडाई में प्रार्थी को अपने हल, बैल,बेलगाडी,ट्रक्टर आदि लाने ले जाने हेतु रास्ता प्रदान किया जावें तथा उक्त भूमी को रास्ते के रूप में मर्ज की जाकर राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज किया जावे।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षीगण की ओर बावजुद सुचना तामिल अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये गये तहसीलदार रेलमगरा से मौका रिपोर्ट ली गई प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। प्रार्थी के चाहे गये आराजी नम्बर 196 रकबा 02–06 बिघा पर जाने आने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थी के खेत के आराजी नम्बर 196 रकबा 02–06 बिघा में

up

जाने आने हेतु चाहा गया रास्ता आराजी नम्बर 350 रकबा 05–10 बीघा किस्म बिलानाम में से होते हुए आराजी नम्बर 434/350 की पश्चिमी पाली के सहारे होते हुए आराजी नम्बर 196 में जाने आने हेतु चाहा गया है जो निकटतम रास्ता है। इस प्रस्तावित रास्ते के मध्य आराजी नम्बर 434/350 में एक नीम का पेड है जिसकी अनुमानित लागत 1000 रूपया है। प्रस्तावित रास्ते में गेहु की फसल बो रखी है। प्रस्तावित रास्तें हेतु चाही गई भूमि का रकबा आराजी नम्बर 434/350 में प्रभावित क्षैत्रफल 158.40X15 फीट = 2376 वर्गफीट यानी 0–07–14 बीघा यानी = 220 वर्गफीट क्षैत्रफल है।

इस पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षी को जरिये समन्न तलब किया गया विपक्षीगण की ओर बावजुद सुचना तामिल अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश किये गये तहसीलदार रेलमगरा से मौका रिपोर्ट ली गई प्रार्थी के खेत पर जाने के लिए मांगा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251–ए का स्वीकार किया जाकर ग्राम गमेरपुरा के प्रार्थी की आराजी संख्या आराजी सख्या 196 में जाने आने हेतु आराजी नम्बर 434/350 में प्रस्तावित रास्तें हेतु चाही गई भूमि का रकबा आराजी नम्बर 434/350 में प्रभावित क्षैत्रफल 158.40X15 फीट = 2376 वर्गफीट यानी 00–07–14 बीघा यानी = 220 वर्गफीट क्षैत्रफल भुमि (तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ते) को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी से उक्त नीम का पेड है जिसकी अनुमानित लागत 1000 रूपया है। प्रस्तावित रास्ते में पेंड एव रकबे की वर्तमान पंजीयन दर अनुसार दो गुना राशि वसुल कर विपक्षीगण को उनके हिस्से अनुसार नियमानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जावे। पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा